

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर।

क्रमांक:- लेखा/2026-27/

दिनांक:-

नीलामी सूचना

सर्व साधारण सूचित रहे कि इस न्यायालय के स्टोर शाखा में लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक आदि अनुपयोगी सामग्री जिसका पुस्तक मूल्य रुपये 81990/- एवं सिंगल लॉक मालखाने लोहा, पीतल, एल्युमिनियम एवं स्टील के अनुपयोगी सामान का पुस्तक मूल्य रुपये 2500/- है, कि नीलामी दिनांक 01.10.2026 को दोपहर 2.00 बजे जिला न्यायालय परिसर में की जाएगी। नीलामी में इच्छुक जीएसटी रजिस्टर्ड बोलीदाता धरोहर राशि 1700/- रुपये जमा करवाकर दिनांक 01.10.2026 को 12.00 बजे तक जिला न्यायालय सीकर में उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं।

1. बोलीदाता अपने फोटोयुक्त पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायें। नीलामी बोली में भाग लेने वाली समस्त फर्म को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन व पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
2. बोलीदाता को नीलामी दिवस को, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व बोली की धरोहर राशि जमा करनी होगी। असफल बोलीदाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर, उपरोक्त धरोहर राशि सहित सम्पूर्ण राशि तत्काल उसी दिन जमा करनी होगी। राशि कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही सामग्री का उठाव किया जा सकेगा।
4. सफल बोलीदाता अपने स्वयं के खर्चे से नीलामी सामग्री निर्धारित समयावधि तीन (03) कार्य दिवस के अंदर उठाना होगा, तथा उसके द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि, जमा चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
5. सफल बोलीदाता सामग्री पर लगने वाली (SGST/CGST) जीएसटी राशि जो नीलामी की राशि के अतिरिक्त होगी नियमानुसार जमा कराने हेतु जिम्मेदार होगा तथा जमा राशि चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. नीलामी सामग्री नीलामी दिवस को मौके पर नीलामी प्रारम्भ होने के समय देखी जा सकेगी।
7. सिंगल मालखाने की न्यूनतम बोली रुपये 2500/- तथा स्टोर शाखा के अन्य सभी सामान की न्यूनतम बोली रुपये 8199/- रखी गई है। सिंगल लॉक मालखाने तथा स्टोर शाखा के सामान की बोली अलग अलग लगाई जाएगी।
8. नियत सरकारी न्यूनतम बोली से नीलामी प्रारम्भ की जायेगी तथा आगामी उच्चतर बोली न्यूनतम 100/- रुपये के पूर्णांक से बोली लगाई जायेगी।
9. बोली स्थगित या रद्द करने, किसी विवाद का अंतिम निर्णय, जिला न्यायालय का होगा।

Sd -
अध्यक्ष

नकारा अनुपयोगी सामग्री निस्तारण कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर

क्रमांक :- 272

दिनांक:- 19-9-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी सर्वर कक्ष जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर को ई कोर्ट पोर्टल Sikar.dcourts.gov.in पर अपलोड करवाने बाबत।
2. सहायक नाजिर, कार्यालय हाजा को जिला एवं सेशन न्यायालय / जिला कलेक्टर कोषालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, सीकर के नोटिस बोर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों नोटिस बोर्ड पर चरप्पा बाबत सीकर।
3. रोकडपाल, भण्डारपाल, कार्यालय हाजा बाबत।

Das
अध्यक्ष

नकारा अनुपयोगी सामग्री निस्तारण कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर